प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान की धारा 151 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-I एवं अध्याय- II में 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से भी प्राप्त की गयी है।

3. अध्याय III 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।